राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– एफ.2 (ई)(1)(6)/स्थानान्तरण/अलेसे–I/14 **दिनांकः– 15/04/2025**

परिपत्र

निदेशालय द्वारा आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I के स्थानान्तरण/पदस्थापन किये गये थे किन्तु उक्त आदेशों की पालना में कुछ सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I द्वारा आदिनांक तक भी नवपदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किया गया है।

संक्षम स्तर से जारी स्थानान्तरण आदेशों की पालना में कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण नहीं करना एक अत्यन्त गम्भीर विषय है। अतः **स्थानान्तरित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I (माननीय न्यायालय से स्थगन प्राप्त कार्मिकों के अतिरिक्त) को निदेशालय स्तर से दिनांक 15.04.2025 को तुरन्त प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाकर** निर्देशित किया जाता है कि वे स्थानन्तरित स्थान पर कार्यग्रहण कर तत्काल अपनी कार्यग्रहण की सूचना ई–मेल/डाक/दस्ती से इस निदेशालय को अविलम्ब भिजवाये, इसमें किसी भी प्रकार के विलम्ब अथवा लापरवाही को अत्यन्त गम्भीरता से लेते हुये **कार्मिकों के विरूद्ध नियोक्ता प्राधिकारी के आदेशों की अवहेलना किया जाना मानते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।**

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः– एफ.2 (ई)(1)(6)/स्थानान्तरण/अलेसे–I/14 **दिनांकः– 15/04/2025**

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संबंधित कोषाधिकारी ....।
3. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को प्रेषित कर लेख हैं कि उक्त परिपत्र की पालना करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
4. संबंधित कार्मिक .... सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता हैं कि वे वर्तमान कार्यालय द्वारा कार्यमुक्त नहीं करने की स्थिति में स्वयं को कार्यमुक्त मानते हुए स्थानान्तरित पद/स्थान पर तत्काल कार्यग्रहण कर सूचना विभागीय ई–मेल पर भिजवाना सुनिश्चित करावें।
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
7. निजी पत्रावली/गार्ड फाईल।

(के.जी. गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–I)